

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 25/2025

तारीख दायर-11.11.2025

तारीख निर्णय-13.03.2025

1. श्री शांतीलाल पिता गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रेम पुत्री गणेशलाल कलाल पत्नी किशन लाल कलाल निवासी लसाडिया हाल मुकाम आकोला, तहसील कानोड जिला उदयपुर।
2. श्रीमती सोसर पुत्री गणेशलाल कलाल पत्नी खुमाणलाल कलाल निवासी लसाडिया हाल मुकाम बांसी तहसील बडीसादडी, जिला चित्तोडगढ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री दीपक शर्मा
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा



निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मोजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 181 व पुराना 158 में वर्णित आराजी नम्बर 2368/11 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2441/1 रकबा 0.0432 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2442/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर आराजी नम्बर 3646/73 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कित्ता 04 कुल रकबा 1.5336 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। उक्त आराजिया भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउंडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 181 व पुराना 158 में वर्णित आराजी नम्बर 2368/11 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2441/1 रकबा 0.0432 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2442/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर आराजी नम्बर 3646/73 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कित्ता 04 कुल रकबा 1.5336 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

वाद डिक्री

1. श्री शांतीलाल पिता गणेशलाल कलाल निवासी लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रेम पुत्री गणेशलाल कलाल पत्नी किशन लाल कलाल निवासी लसाडिया हाल मुकाम आकोला, तहसील कानोड जिला उदयपुर।
2. श्रीमती सोसर पुत्री गणेशलाल कलाल पत्नी खुमाणलाल कलाल निवासी लसाडिया हाल मुकाम बांसी तहसील बडीसादडी, जिला चित्तोडगढ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री दीपक शर्मा
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 13.03.2026 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है एवं मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 181 व पुराना 158 में वर्णित आराजी नम्बर 2368/11 रकबा 0.1404 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2441/1 रकबा 0.0432 हैक्टेयर आराजी नम्बर 2442/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर आराजी नम्बर 3646/73 रकबा 1.0800 हैक्टेयर कित्ता 04 कुल रकबा 1.5336 हैक्टेयर भूमि भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)